

प्राचीन
28.11.2024

2024/219

फर्द अहकाम (नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़
रामकुमार बनाम विधादेवी

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 81

वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तागिल में जारी हुये
23.05.2024	<p>प्रार्थी रामकुमार की तरफ से वकील श्री अनिल कुमार सिहाग ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। रीडर की जांच रिपोर्ट के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं सलग्न दस्तावेजों के अवलोकन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी रोही मौजा बांगासर के ख.नं. 330 की 4.553 है., 493/99 की 3.794 है. कुल 8.347 है. भूमि के रिकार्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद (यथा खाता विभाजन आदि), रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ-साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 24.06.2024 को पेश हो।</p>	
24.6.2024	<p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p> <p>वकील ने पत्रावली पेश की। पत्रावली दिनांक 20/06/2024 को पेश हो</p>	
28.8.2024	<p>वकील प्रार्थी उपरिपत्रा पुनः सम्मन पेश होने पर उपरिपत्र की तल्बी करके सम्मन से की जाकर प्रार्थकी अर्द्धक तारीख 05.11.2024 को पेश हो।</p>	
05.11.2024	<p>वकील प्रार्थी ने पत्रावली पेश की। पत्रावली दिनांक 21.12.2024 को पेश हो</p>	
28.11.2024	<p>वकील प्रार्थी ने पत्रावली पेश की। पत्रावली दिनांक 28.11.2024 को पेश हो</p>	<p>उक्त कार्य में आगे की कार्यवाही नहीं माहता है</p> <p>रामकुमार 28/11/24</p>



पत्र आगे नही चलाना चाहता हूँ। मैं जूदा प्रियसि
 में आधीज करवाना चाहता हूँ। इस प्रियसि
 पत्र मैं जूदा प्रियसि में आधीज दिया जाता है।
 प्रजावली नष्ट से कर की लाकर काउ प्रतीक
 लक्ष्मील लपटा दाखिल दफ्तार हो।

सहायक वकील
 सपरण्ड जोरवार
 सगलपुर

सहायक वकील
 सपरण्ड जोरवार
 सगलपुर